

## अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 24/BIADA/2024-25

- विज्ञापनदाता का नाम :- बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-4
- निविदा कागजात बिक्री की तिथि एवं समय :- दि०- **31.03.2025** से **07.04.2025** को कार्यालय अवधि में अपराह्न **3.00** बजे तक।
- निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- दि०- **08.04.2025** को अपराह्न **3:00** बजे तक
- तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :- दि०- **08.04.2025** को अपराह्न **3:30** बजे
- निविदा कागजात के परिमाण विपत्र की बिक्री एवं निविदा प्राप्ति का स्थान :- बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-4
- कार्यों की विवरणी।

| क्र<br>0<br>सं<br>0 | कार्य का नाम                                                                                                                                                        | कुल प्राक्कलित राशि (लाख ₹0 में) | अग्रधन की राशि (2%) (₹0 में) | परिमाण विपत्र का मूल्य (₹0 में) | कार्य समाप्ति की अवधि |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 4                   | डोभी (गया) में अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत Integrated Manufacturing Cluster के भूमि के सीमांकन हेतु पैकेज "D"-Point 4 To 5 तक पिलरिंग कार्य | 11,34,348/-                      | 23,000/-                     | 2,500/-                         | 3 माह                 |

### नियम एवं शर्तें:-

- बियाडा अन्तर्गत समुचित श्रेणी में अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- संवेदकों को निविदा के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है :-  
क-आयकर पैन कार्ड।  
ख-जी० एस० टी० निबंधन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।  
ग-चरित्र प्रमाण पत्र।
- अन्य विवरणी प्राधिकार के वेबसाइट [www.biadabihar.in](http://www.biadabihar.in) अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) में देखी जा सकती है या अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में प्राप्त कर सकते हैं।
- प्राधिकार को बिना कारण बताये निविदा के अवधि विस्तार अथवा आंशिक या पूर्णरूपेण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसी कार्रवाई की सूचना प्राधिकार के वेबसाइट [www.biadabihar.in](http://www.biadabihar.in) पर देखी जा सकती है। निविदा रद्द होने की स्थिति में संवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

### अन्य शर्तें:-

- निम्नलिखित संवेदक निविदा के तकनीकी बीड में असफल माने जायेंगे-  
(a) डिबार, निलंबित या काली सूची में नामित।  
(b) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लंबित हो।  
(c) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर लिए हो, परन्तु कार्य अकारण प्रारम्भ नहीं किये हों।
- Joint Venture मान्य नहीं होगा।
- अग्रधन (Earnest Money Deposit) की राशि **Bihar Industrial Area Development Authority, Patna** के नाम से Bank Guarantee (Issued from govt./Scheduled Bank) अथवा Fixed Deposit (FD) के रूप में मान्य होगा।
- The bidder has to provide their Whatsapp enabled mobile no. & email ID so that they may be contacted immediately in case of any query.
- निविदा में तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दो अलग-अलग लिफाफों में डाल कर तीसरे लिफाफे के अन्दर सीलबंद कर लिफाफा को तकनीकी शाखा, बियाडा, उद्योग भवन, गाँधी मैदान, पटना अन्तर्गत निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा करना होगा। निविदा के साथ संवेदक द्वारा संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों पर संबंधित संवेदक का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
- निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र कार्यपालक दंडाधिकारी/नोटरी द्वारा निर्गत हो, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना के तकनीकी शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा -  
(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

- (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), निलंबित और काली सूची (Black list) में दर्ज एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
- (ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में कनीय अभियंता/प्रबंधक (तकनीकी)/उपमहाप्रबंधक (तकनीकी)/उपमहाप्रबंधक (वित्त)/लेखापाल इत्यादि के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।
- (ङ) उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत कार्यवाई करने, के लिए स्वतंत्र होंगे।
7. सभी तरह का शपथ पत्र कार्यपालक दंडाधिकारी/नोटरी द्वारा निर्गत हो एवं निविदा निर्गत होने की तिथि के बाद का ही मान्य होगा जिसे निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा उनके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।
  8. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार के पत्रांक 29 दिनांक 25.01.2021 के आलोक में निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार से निर्गत वैध चरित्र प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
  9. प्राक्कलित राशि एवं अग्रधन की राशि घट बढ़ सकती है। फाइनैसियल बीड के अभिलेख में अंकित प्राक्कलित राशि के अनुसार ही अग्रधन/परिमाण विपत्र की राशि मान्य होगी।
  10. इस कार्य का Defect Liability Period कार्य समाप्ति की तिथि से एक वर्ष का होगा।
  11. इस निविदा से संबंधित Corrigendum/Addendum प्राधिकार के वेबसाइट [www.biadabihar.in](http://www.biadabihar.in) पर ही देखा जाएगा।
  12. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का Clarification प्री-बीड मीटिंग में ही discuss होगा। प्री-बीड मीटिंग का निर्णय [www.biadabihar.in/](http://www.biadabihar.in/) पर upload किया जाएगा।
  13. निविदादाताओं को निविदा डालने के पूर्व कार्य, कार्य स्थल, प्राक्कलन एवं क्वैरी साइट इत्यादि की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्णरूप से संतुष्ट होने का परामर्श दिया जाता है और यह माना जाएगा कि उक्त स्थितियों से अवगत होकर ही आपके द्वारा निविदा में भाग लिया गया है। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
  14. यदि किसी कारणवश अग्रधन एवं अन्य कागजात जमा करने की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो अगले कार्य दिवस को पूर्व के नियत समय तक उक्त निविदा कागजात प्राप्त किया जायेगा और नियत समय पर निविदा खोली जायेगी।
  15. निविदा का निष्पादन सरकार और प्राधिकार के अद्यतन निदेशों एवं परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा।
  16. तकनीकी बिड में कई सफल निविदादाताओं की समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में कार्य का आवंटन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के आलोक में लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
  17. परिमाण विपत्र की दर से कम दर अंकित करने वाले निविदादाताओं को एकरारनामा के साथ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – प्र0-6/1/ द0 बी0-03-08/2006(अंश), 448(S) ई0 पटना, दिनांक 16.01.2020 के आधार पर वर्णित दर से Additional Performance Guarantee देय होगा –
    - (a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाली निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
    - (b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाली निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
    - (c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाली निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
    - (d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाली निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।
  18. As per RCD letter no. 7435 (s) dated 14.08.2019, "S.B.D. Contract Clause-25 Settlement of Disputes and Arbitration Shall be treated as- The settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the provisions made in Bihar Public Works Contract Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008".
  19. कार्यावंटन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प एवं परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का निर्माण कार्य में पालन करना अनिवार्य होगा।
  20. कार्य आवंटन और एकरारनामा के उपरांत प्रगति समय के समानुपातिक नहीं होने की स्थिति में संवेदक Debar हो सकते हैं।
  21. यह निविदा आमंत्रण सूचना एकरारनामा का अंश होगी।
  22. कार्य का भुगतान, निधि की उपलब्धता के पश्चात किया जायेगा। विलंब से भुगतान होने की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
  23. बिहार भवन एवं सन्निमार्ग कर्मकार बोर्ड के मद में संवेदक के प्रत्येक विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) राशि लेबर सेस के रूप में देय होगी, जो विपत्र से काट ली जायेगी।
  24. बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश के आलोक में जी0एस0टी/स्वामित्व/मालिकाना फीस इत्यादि की कटौती की जायेगी।
  25. The charge for advocate welfare fund has been changed to Rs. 25 from Rs. 15 (Stamp charge for oath other wise tender will not be valid as per recent Government order.

26. In the event of any dispute the legal matter shall be subject to the jurisdiction of patna court only.
27. निविदा की विस्तृत शर्तों एवं आवश्यक सूचना बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उपमहाप्रबंधक (तकनीकी) पटना के कार्यालय में कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है तथा कार्यालय के सूचना पट्ट एवं वेबसाइट [www.biadabihar.in](http://www.biadabihar.in) पर देखा जा सकता है।

ज्ञापांक:-

2041/Deh

प्रतिलिपि :- कार्यकारी निदेशक (परियोजना), बियाडा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित/कार्यालय के सूचना पट्ट हेतु/आई० टी० शाखा, बियाडा पटना को प्राधिकार के वेब साइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित/प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप-महाप्रबंधक, तकनीकी  
बियाडा, पटना।

दिनांक: 24/03/25

 21/3/25

उप-महाप्रबंधक, तकनीकी  
बियाडा, पटना।